कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़

प्रशासनिक आदेश संख्या 103/वर्ष २०२०

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक ३९५/इन्फ्रासेल, दिनांकितः मार्च १६, २०२० एवं अन्य पत्रों, आदेशों व शासन के आदेशों के अनुपालन में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलने के आसन्न खतरे का सामना करने के लिए सभी बचाव, उपचार एवं निवारण हेतु समस्त संभव उपाय अपनाये जाने के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्था रहेगी-

१. जनपद न्यायालय आजमगढ़ की नजारत द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में इस जनपद न्यायालय में कार्यरत सफाई कर्मियों एवं नगर पालिका आजमगढ़ व जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में कार्यरत सफाई कर्मियों का सहयोग लेकर समस्त न्यायालय परिसर की सफाई व स्वच्छीकरण का कार्य दिन के ०९.३० बजे तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा तत्पश्चात न्यायालय परिसर में आने वाले व्यक्तियों का थर्मल स्कैनर से चेक अप कराया जायेगा।

२. उक्त प्रयोजनार्थ थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराये जाने एवं उसके संचालन हेतु पैरामेडीकल स्टाफ उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा सहित जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी/ चिकित्साधीक्षक को पत्र प्रेषित किया जाए।

३. श्री सुनील चन्द्र तिवारी, निरीक्षक न्यायालय सुरक्षा प्रभारी ने आख्या के माध्यम से यह सूचित किया है कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों में ०१ निरीक्षक, ०३ उप निरीक्षक, १० मुख्य आरक्षी, ४६ आरक्षी, ०७ महिला आरक्षी अर्थात कुल ६७ पुलिसकर्मी कार्यरत हैं तथा इसी न्यायालय परिसर में तैनात पी०ए०सी० के प्लाटून कमाण्डर/पोस्ट प्रभारी श्री महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या के अनुसार ३६ बी.एन. पी.ए.सी.एफ. दल रामनगर वाराणसी की डेढ़ सेक्शन फोर्स न्यायालय सुरक्षा ड्यूटी हेतु लगाई गई है, जिसमें ०१ प्लाटून कमाण्डर, ०३ मुख्य आरक्षी व ०८ आरक्षीगण हैं, जिनमें से ०१ कर्मचारी अवकाश पर है। तद्नुसार इस समय कुल ११ पी०ए०सी० कर्मी ड्यूटी पर मौजूद हैं।

४. जनपद न्यायालय आजमगढ़ में कुल ४६ अधिकारीगण, कई सौ तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण एवं आशुलिपिकगण, कई सौ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण कार्यरत हैं तथा यहां कार्य कर रहे अधिवक्तागण की सख्या भी कई हजार है, अतः प्रभारी अधिकारी नजारत यह सुनिश्चित करें कि पूर्वाह्न १०.०० बजे से शाम के ०५.०० बजे तक की न्यायालय/कार्यालय की कार्यावधि में न्यायालय परिसर के मात्र उतने गेट खोले जाए जितनी आवागमन करने वालों की संख्या को देखते हुए आवश्यक हो तथा इस अवधि

Scanned with CamScanner

के पूर्व तक एवं इस अवधि के व्यतीत होने पर दोनो न्यायालयों परिसरों में मात्र एक-एक गेट अत्यावश्यक आवाजाही हेतु खोलकर अन्य सभी गेट बन्द कर दिए जाऐं।

५. इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि न्यायालय/कार्यालय की समयावधि में न्यायालय परिसर में आवागमन हेतु खुले प्रत्येक गेट पर कम से कम दो पुलिसकर्मी व एक पी०ए०सी० कर्मी नियुक्त रहकर एवं अन्य पुलिसकर्मी एवं पी०ए०सी० कर्मी न्यायालय परिसर में घूमकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर लोगों की भीड़ जमा ना हो और यदि लोगों में से किसी का संदिग्ध/पीड़ित होना प्रतीत हो तो उसकी सूचना अविलम्ब जिला प्रशासन/जिला अस्पताल में प्राप्त कराई जाए ताकि उस व्यक्ति का परीक्षण व चिकित्सा किया जा सके। वे यह भी सुनिश्चित करें कि यदि उन्हें कहीं पर गंदगी या कूड़ा एकत्रित हुआ मिलता है तो उसकी सूचना इस जनपद न्यायालय की नजारत को उपलब्ध करायें और उस सूचना के मिलते ही यह नजारत वहाँ तुरन्त सफाई कराये।

६. दिनांक २१.०३.२०२० तक मात्र अर्जेन्ट प्रकृति के मामले इस प्रकार सुने जायेंगे कि जनपद एवं सत्र न्यायालयों से सम्बन्धित ऐसे मामले जनपद न्यायाधीश द्वारा, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों से सम्बन्धित ऐसे मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तथा दीवानी न्यायालयों से सम्बन्धित ऐसे मामले, जैसा भी मामला हो, सिविल जज (प्रवर खण्ड) व सिविल जज (अवर खण्ड) द्वारा सुने जायेंगे।

७. समस्त न्यायालयों में नियमित कार्य दिनांक २१.०३.२०२० तक क्रियान्वित नहीं किया जायेगा।

८. सभी न्यायालय यह सुनिश्चित करें कि नियमित कार्य से सम्बन्धित मामलों में वादकारी की यथासम्भव व्यक्तिगत उपस्थिति ना हो और ऐसे मामलों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि व्यक्तिगत रूप से अनुपस्थित रहने वाले वादकारियों के हित पर उनकी व्यक्तिगत अनुपस्थिति का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना हो।

९. अर्जेन्ट मामलों की संख्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार वरिष्ठतम अपर जनपद न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट स्तर के पीठासीन अधिकारियों की आवश्यकतानुसार सेवायें ली जायेंगी।

१०. अन्य सभी मामलों में सामान्य तिथियाँ सुनवाई हेतु नियत करके उनकी सूचना जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेंगी।

यह आदेश समस्त न्यायिक अधिकारीगण व कर्मचारीगण के मध्य अनुपालनार्थ परिचालित किया जाए।

इस आदेश की एक प्रति जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाऐ

Scanned with CamScanner

(1/2)

तथा एक–एक प्रति सिविल कोर्ट बार एशोसिएशन के अध्यक्ष/मंत्री तथा उक्त श्री सुनील चन्द्र तिवारी निरीक्षक न्यायालय सुरक्षा प्रभारी व श्री महेन्द्र कुमार प्लाटून कमाण्डर पोस्ट प्रभारी को अनुपालनार्थ प्राप्त कराई जाऐ।

इस आदेश की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को जनहित में समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अविलम्ब प्राप्त कराई जाए।

16-3-2020

दिनांक १६.०३.२०२०

(प्रमोद कुमार शर्मा)
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़

Scanned with CamScanner